

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

**:: आदेश ::**

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी निम्बाहेड़ा जायन व भू अभिलेख निरीक्षक निम्बाहेड़ा जायन की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निम्बाहेड़ा जायन पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जायन तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् २०१५-१६ में खाता संख्या 645 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

| क्रम संख्या | ग्राम            | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------------|------------------|-------------|----------------------------|--|
| 1           | 2                | 3           | 4                          | 5  |
| 02          | निम्बाहेड़ा जायन | 645         | श्रीभाग फि. गोपी           | श्रीभाग उर्फ श्रीभाग फि. गोपी                                |

प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 04

दिनांक:- 7/12/2021

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

